भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 174

(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>जालसाजी के मामलों में वृद्धि</u>

174. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक रिपोर्ट के अनुसार, कारपोरेट क्षेत्र में जालसाजी के मामले लगातार बढ़ रहै हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए है;

(ग) इन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या कारपोरेट क्षेत्र में जालसाजी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का कोई विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ग): मीडिया के एक वर्ग में यह रिपोर्टें आई हैं कि एक धारा 25 कंपनी, "थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट" ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं, प्रवर्तकों/शीर्ष प्रबंधन द्वारा धनराशियों के अन्यत्र उपयोग, लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ियों का पता न लगा पाने आदि जैसे कारकों की वजह से कंपनियों में धोखाधड़ियां होती हैं। किसी भी मामले में इन्हें कंपनियों में होने वाली धोखाधड़ियों के लिए स्वीकार्य कारण माना जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के जरिए कारपोरेट धोखाधड़ियों के 134 मामलों में कंपनी अधिनियम,

1956 की धारा 235 के तहत मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए गए हैं। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वर्ष	जिन कंपनियों के जांच आदेश दिए गए उनकी संख्या
2011-12	12
2012-13	46
2013-14 (आज तक)	76*
जोड़	**134**

*(इसमें उन पांच समूहों की वे 58 कंपनियां भी शामिल हैं जिनके विरूद्ध पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चिट फंड गतिविधियों के लिए जांच की जा रही है)

(घ) से (ड.): गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत कारपोरेट धोखाधड़ियों की जांच करने के लिए की गई थी। इसके अलावा, सरकार ने कंपनियों में धोखाधड़ियों को रोकने और उनसे निपटने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं, जैसे:

- हाल ही में अधिनियमित कंपनी अधिनियम, 2013 में मूल अपराध के रूप में "धोखाधड़ी" की परिभाषा;
- नए कंपनी अधिनियम के तहत कारपोरेट संचालन के सख्त मानदंड और उसका सख्ती से अनुपालन;
- एसएफआईओ को सांविधिक दर्जा प्रदान करना ;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम (एससीआरए) और निक्षेपण अधिनियम में संशोधन करके प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से प्रतिभूति कानूनों का संशोधन, ताकि 'सेबी' पोंजी स्कीमों को चलाने वाली कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामलों को कारगर ढंग से निपटा सके।
- डेटा माइनिंग और न्याय संबंधी लेखा-परीक्षा तकनीक के जरिए संभाव्य धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग।

*****